# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी ( भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 36 / 2020

जसविन्दर सिंह पुत्र दिलीप सिंह जाति सिख निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. मानसिंह
2. संतोक सिंह
3. कुलदीप सिंह पिसरान साहब सिंह जाति सिख निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी

असल प्रतिवादीगण

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी ।

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा ,88,89,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील वादी

दिनांक :– 23.11.2020

## निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 518 / 0.53 है0 बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम एवं खसरा नम्बर 3063 / 0.79 है0 बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 साहब सिंह की सन्तान थी लेकिन साहब सिंह के चाचा दिलीप सिंह लाबल्द बिला औरत विला सन्तान था इस वजह से वादी को दिलीप सिंह ने बचपन से ही गोद ले लिया और वादी का पालन पोषण व शादी भी दिलीप सिंह ने की और दिलीप सिंह के वृद्ध होने पर सभी तरह से सेवा सुश्रुषा वादी ने ही बतौर पुत्र के रूप में किया । इस प्रकार वादी का अपने पहले पिता की आराजी मुत0 से कानूनन सम्बन्ध नहीं रहा है और ना ही प्रतिवादीगण का उसकी आराजी से कोई सम्बन्ध है वादी के पिता दिलीप की मृत्यु दिनांक 05.04.2020 को करीब 90 वर्ष की आयु के पूर्ण होने पर हुई। जिसका समस्त क्रियाकर्म वादी ने पुत्रवत सम्पन्न किये सबूत में वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार, व बैंक पासबुक्स , ड्राईविंग लाईसेन्स, आर0सी0 मोटर साईकिल , राशन कार्ड , सामलाती बैंक पासबुक्स गोदनामा आदि संलग्न दावा किये है। वादी अपने पिता दिलीप सिंह के साथ आराजी मुत0 सम्पूर्ण पर बतौर खातेदार के रूप में काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था और आज भी मौके पर वादी का ही अपने पिता दिलीप सिंह के फौत हो जाने पर कब्जा व काश्त है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी वादी की पैतृक आराजी है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आज भी वादी के पिता दिलीप सिंह के नाम खातेदारी का इन्द्राज चला आ रहा है। जिसे वादीगण कलमजन कराकर अपने आपको अपने पिता दिलीप सिंह के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। वादी को उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण आये दिन मजाहमत व मदाखलत करते है तथा नाजायज दबाब डालते है कि वादी की आराजी में प्रतिवादीगण का भी हिस्सा है। वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि जब मेरा आपके पिता की आराजी में से कोई हिस्सा नहीं है तो मैं अपने पिता की आराजी में हिस्सा क्यों दूँ इस बात पर प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.06.2020 को ग्राम कैथवाडा में धमकी दी है कि हम तेरे पिता की आराजी में से हिस्सा लेकर रहेगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपरमित क्षति होगी। श्रीमान तहसीलदार पहाडी को फौरमल पक्षकार बनाया गया है क्योकि राजस्व रिकॉर्ड उनकी तहवील में रहता है। अतः दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं दिलीप सिंह के नाम के इन्द्राज को राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय वकील के न्यायालय में उपस्थित आये इकबाल जबा इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण साहब सिंह की सन्तान है साहब सिंह के भाई दिलीप सिंह लाबल्द विला औरत था इसकी वजह से दिलीप सिंह ने वादी को बचपन में ही गोद ले लिया था तथा दोनो पिता पुत्र के रूप में रहे और सभी कागजात में वादी का पिता दिलीप सिंह का नाम दर्ज है और वादी अपने पिता दिलीप सिंह की आराजी पर बतौर खातेदार के रूप में काबिज तथा प्रतिवादगण अपने पिता साहब सिंह की आराजी पर काबिज है तथा हमारा वादी की आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही वादी का प्रतिवादीगण की आराजी से सम्बन्ध है। वादी का पिता दिनांक 05.04.2020 को फौत हो गया हैं। यदि दिलीप सिंह के स्थान पर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

साक्ष्य वादी में पी0डब्लू 1 जसविन्दर सिंह , पी0डब्लू 2 मोहन सिंह, पी0डब्लू 3 गिर्राज, पी0डब्लू 4 मानसिंह, पी0डब्लू 5 संतोष सिंह, पी0डब्लू 6 कुलदीप सिंह के शपथ पत्र पेश किये ।

बहस में वकील वादी ने निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 518/0.53 है0 बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम एवं खसरा नम्बर 3063/0.79 है0 बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय तहसील पहाडी स्थित है वादी एवं प्रतिवादीगण साहब सिंह की सन्तान थी साहब सिंह के चाचा दिलीप सिंह लाबल्द विला औरत बिना सन्तान थे जिस वजह से वादी को दिलीप सिंह ने बचपन से ही गोद ले लिया और वादी का पालन पोषण शादी भी दिलीप सिंह ने की दिलीप

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

सिंह के वृद्ध होने पर सभी तरह से सेवा वादी ने ही बतौर पुत्र के रूप में की। इस प्रकार वादी का अपने पूर्व पिता की आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा और ना ही प्रतिवादीगण का वादी की आराजी से कोई सम्बन्ध है। वादी के पिता दिलीप सिंह की मृत्यु दिनांक 05.04.2020 को 90 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर हुई जिसके सारे क्रियाकर्म वादी ने ही किये। सबूत के तौर पर पहचान पत्र,आधार कार्ड, जनआधार, बैंक पासबुक्स, ड्राईविंग लाईसेन्स ,राशन कार्ड , की प्रति पेश की है एवं असल गोदनामा पेश किया है। समस्त दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम दिलीप सिंह ही दर्ज हैं । जिससे दावा वादी बाखूबी साबित है। अतः दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी को विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं राजस्व रिकॉर्ड हो रहे इन्द्राज दिलीप सिंह के नाम को कलमजन किया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। दावे में तनकीयात कायम की गई है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा दावे में इकबाल जबाब दावा पेश करने के कारण तनकीयात कां निर्णय में विश्लेषण नहीं किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण साहब सिंह की सन्तान थे मुताबिक गोदनामा दिनांक 01.03.2019 वादी को दिलीप सिंह ने गोद ले लिया एवं दिलीप सिंह दिनांक 07.05.2020 को फौत हो गया है । सबूत के तौर पर पहचान पत्र,आधार कार्ड, जनआधार, बैंक पासबुक्स, ड्राईविंग लाईसेन्स ,राशन कार्ड , की प्रति वादी द्वारा अपने दावे में पेश की है सभी दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम दिलीप सिंह ही दर्ज है एवं असल गोदनामा पेश किया है।वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहो ने भी दिलीप सिंह को लाबल्द बिला औरत और बिना सन्तान के फौत होना बताया है एवं वादी को बचपन से ही गोद लेना बताया है। प्रतिवादीगण ने भी इकलाब दावा में वादी को दिलीप सिंह द्वारा गोद लिया जाना स्वीकारा है। ऐसी स्थिति में दावा वादी काबिले डिक्री के है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है। वादी को आराजी खसरा नम्बर 518/0.53 है0 बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम एवं खसरा नम्बर 3063/0.79 है0 बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय तहसील पहाडी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त नम्बरो पर पूर्व में चले आ रहे इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner